

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न०:- 503/2025

1. सन्दीप कुमार पुत्र प्रहलाद } जाति जाट निवासीयान सालीवाला तहसील
2. अनिल कुमार पुत्र रूघवीर } टिब्बी जिला हनुमानगढ । वादीगण

- बनाम्
1. भागवन्ती पत्नी लालचन्द }
2. रतनबाला पत्नी विक्रमसिंह } जाति जाट निवासीयान सालीवाला तहसील टिब्बी
3. प्रहलाद पुत्र लेखराम } जिला हनुमानगढ ।
4. सुनीता पुत्री प्रहलाद पत्नी संदीप कुमार जाति जाट निवासी वीझबायला तहसील पदमपुर
जिला श्रीगंगानगर ।
5. रूघवीर पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
6. रिकू पुत्री रूघवीर पत्नी चन्द्रसैन निवासी कनवाला तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब ।
7. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।



डिक्री

प्रतिवादीगण

दिनांक 5/01/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अनविन्द नैण व प्रतिवादी वकील परमजीतसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क. वादी सं० 1 सन्दीप कुमार को प्राप्त आराजी- चकनं० 8 एम.के.एस के खाता सं० 75 / 86 के प०न० 197/222 मु० 61 किलानं० 1/.253, 2/.253, 9/.253, 10/.253, 11/0.0632 है० उत्तर दिशा, 12/0.0632 है० उतर दिशा, चकनं० 8 एम.के. एस के खाता सं० 76/70 के प०न० 196 /224 मु० 78 के किलानं० 19/.253, 22/.253, 13/0.1075 है० पश्चिम दिशा, 18/0.1075 है० पश्चिमी दिशा, 23/0.1075 है० पश्चिम दिशा

ख. वादी सं० 2 अनिल कुमार को प्राप्त आराजी- चक नं० 8 एम.के.एस के खाता सं० 74/69 के प०न० 194/225 मु० 82 किलानं० 21, 22, प०न० 194/226 मु० 88 किलानं० 1,2,3,10

ग. प्रतिवादी सं० 1 भागवन्ती को प्राप्त आराजी- चक नं० 8 एम. के. एस के खाता सं० 75/86 के प०न० 197/222 मु० 61 किलानं० 11/0.1898 दक्षिण दिशा, 12/0.1898 दक्षिण दिशा, 18 ता 20/.759 है०

घ. प्रतिवादी सं० 2 रतनबाला को प्राप्त आराजी- चक नं० 8 एम. के. एस के खाता सं० 76/70 के प०न० 196/224 मु० 78 किलानं० 13/0.1455 है० पूर्व दिशा, 14/.253, 17/.253, 18/0.1455 है० पूर्व दिशा, 23/0.0315 है० पूर्व दिशा इसी अनुसार वादीगण

प्रतिवादी सं० 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चकनं० 8 एम.के.एस के खाता सं० 74/69 में से प्रहलाद व रूघवीर का नाम कलमजन, चक के खाता

सं० 75 / 86 में से रूघवीर व प्रहलाद का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं० 76 / 70 में से रूघवीर व प्रहलाद का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(सं० न्यायालय एवं
उपखण्ड न्यायालय (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।